		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29-10-20 को पेश हो।	
		अतिरिक्त ज़िला कलक्टर भरतपुर (राज.)	
29-10-20		वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुतकर्ता ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत नियम 157 के तहत पुराना कब्जा मानते हुये उत्तरवादीगण के हक में नियमन (आवंटन) किया गया है। और पट्टा जारी किया गया है। इस आदेश आंबटन के विरुद्ध धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति में अपील लाई करती है। निगरानी नहीं। पक्षकारान के मध्य दीवानी दावा भी चल रहा है। प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार के बाहर होने से श्रीमान न्यायालय में चलने योग्य नहीं रहती है। विचाराधीन निगरानी खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	R.T.O---
	पट्टे व दाखिल खारिज के मुतल्लक जो आदेश दिये जाते हैं। उनकी अपील प०स० में पेश नहीं होगी बल्कि कलक्टर व एसडीएम के यहाँ होगी। जमीन ग्राम पंचायत की नहीं है। बल्कि यह जमीन गफरान साहब की है। निगरानी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को नाई करता है। प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषक के कथनों पर गौर किया। विचाराधीन प्रकरण निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है। निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (राज.)